न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पहाडी (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी जगदीश आर्य आर0ए0एस

मुकदमा नं0 22/2019

डालचन्द पुत्र बुद्धि जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम रॉफ तहसील पहाडी

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पहाडी (भरतपुर)
2. मनीराम
3. चेतराम
4. रामबाबू
5. अमरचन्द पिसरान बुद्धि
6. ग्यासो पुत्री बुद्धि जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम रॉफ तहसील पहाडी

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट

उपस्थिति :– श्री प्रहलाद सिह वकील प्रार्थी

दिनांक 02.12.2019

निर्णय

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट के तहत इस आशय का पेश किया कि विवादित आराजी के खाता नं0 241 के खसरा नम्बर 4/0.33, 229/0.58, 231/0.22, 232/0.30, 370/0.74, 376/0.46, 1005/0.81, 1009/0.32, 1010/0.72, 1045/0.74, 1066/0.30, 1081/0.04, 1082/0.06, 1349/527/528/0.41 है0 किता 14 रकबा 6.06 है0 बांके ग्राम रॉफ तहसील पहाडी में स्थित है। आराजी मुत0 प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 6 के पिता की खातेदारी की आराजी थी। पिता बुद्धि के फौत हो जाने के बाद प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 6 वाहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार काबिज है। राजस्व कर्मचारियों से भूलवश डालचन्द के स्थान पर डालू गलत नाम दर्ज हो गया जबकि परिवार कार्ड, पहचान पत्र, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड में प्रार्थी का नाम डालचन्द है। राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का गलत नाम दर्ज होने से भारी परेशानीयों का सामना करना पड रहा है। अतः राजस्व रिकार्ड में खाता संख्या 241 में दर्ज आराजीयात पर प्रार्थी का नाम डालू के स्थान पर डालचन्द संशोधित किये जाने के आदेश प्रदान करें।

Scanned by CamScanner

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया । अप्रार्थीगण ने उपस्थित न्यायालय होकर अपना जबाब पेश कर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों को स्वीकार किया ।

बहस में वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया की विवादित आराजी आराजी खाता सं0 241 बांके ग्राम रॉफ में दर्ज आराजी पर प्रार्थी का नाम डालचन्द के स्थान पर डालू राजस्व रिकार्ड में सहवन से गलत दर्ज होता चला आ रहा है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नकल राशनकार्ड, पहचान पत्र, भामाशाह, बैक पासबुक्स, एवं सरपंच ग्राम पंचायत रॉफ द्वारा पत्र दिनांक 08.07.2019 में भी प्रार्थी का नाम डालचन्द दर्ज है। अतः उक्त आराजी पर प्रार्थी का नाम डालचन्द शुद्ध किये जाने के आदेश फरमाये।

हमने वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जबाब का भी अवलोकन किया। अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जबाब में प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की पुष्टि की है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नकल राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड, पहचान पत्र, नकल बैंक पासबुक्स आदि में प्रार्थी का नाम डालचन्द दर्ज है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर खाता संख्या 241 के खसरा नम्बर 4/0.33, 229/0.58, 231/0.22, 232/0.30, 370/0.74, 376/0.46, 1005/0.81, 1009/0.32, 1010/0.72, 1045/0.74, 1066/0.30, 1081/0.04, 1082/0.06, 1349/527/528/0.41 है0 किता 14 रकबा 6.06 है0 बांके ग्राम रॉफ तहसील पहाडी में दर्ज गलत नाम डालू के स्थान पर डालचन्द शुद्ध किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जावें। निर्णय प्रति तहसीलदार पहाडी को पालनार्थ भेजी जावें।

निर्णय आज दिनांक 02.12.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(जगदीश आर्य)
उपखण्ड अधिकारी
पहाडी (भरतपुर).

Scanned by CamScanner